EWS छात्रवृत्ति हेतु दिशानिर्देश Instructions regarding the EWS Scholarship

1. अवधि एवं दरें –

1. प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण

100/— रूपये प्रति माह 2 शिक्षण सत्र के लिए (एक शिक्षण सत्र 10 माह के लिए)

2. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण

100 / — रूपये प्रति माह 2 शिक्षण सत्र के लिए (एक शिक्षण सत्र 10 माह के लिए)

1. Time and Rates

- 1. For Praveshika exam passed students Rs. 100/ per month for two academic years (One academic year refers not less than 10 months)
- 2. For Secondary exam passed students Rs. 100/ per month for two academic years (One academic year refers not less than 10 months)
- 2. आवश्यक नियम -
- 2. Important Rules-
- कक्षा 10 में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को जिन्होनें 80 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हो, छात्रवृति के लिये पात्र होंगे। यह छात्रवृत्ति 2 वर्ष के लिये अर्थात कक्षा 11 व कक्षा 12 में विद्यालय में नियमित अध्ययनरत् होने पर ही देय होगी।
- 1. Only economically weaker and talented students are eligible for this Scholarship who secure 80 % marks in class X. This scholarship will be given for 2 years on the condition of regular studies in Class XI & XII.
- 2. सैकण्डरी / प्रवेशिका के परिणामस्वरूप प्रदत्त छात्रवृत्तियां अगले वर्ष के लिए तभी देय होगी जब संबंधित अभ्यथी आगे के उच्च अध्ययन से संबंधित (विद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत् हो) प्रथम प्रयास में ही सफल होकर कम से कम 55 प्रतिशत अंक पूर्ण योग में प्राप्त करें।
- 2. Scholarship will be given on the basis of the result of Secondary / Praveshika Examination. Only those students will be eligible who are regular students in school & who pass with minimum 55 percentage of marks in his /her first attempt.
- 3. पात्र विद्यार्थियों को स्कूल लॉग इन आई डी से ही बोर्ड वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे।
- 3. Eligible students will have to fill the online forms through school log in id.
- 4. छात्र / छात्रा द्वारा यदि संकाय / पाठ्यक्रम बदलनें हेतु किसी कक्षा (कक्षा 11 व कक्षा 12) में, जिसमें वह एक वर्ष पढ़कर उत्तीर्ण हो चुका है, उसी में पुनः प्रवेश लेने वाले छात्र को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जावेगी।
- 4. No Scholarship will be given to the student who has changed the faculty in (Class XI and XII) after studying one year.
- 5. उपरोक्त EWS छात्रवृत्ति छात्र / छात्रा को इसी शर्त पर दी जावेगी कि वह मान्यता प्राप्त संस्थाओं में आगे अध्ययन कर रहा है।
- 5. EWS Scholarship will be given only to those students who are the regular students of any recognized institution .
- 6. <u>यदि कोई छात्र / छात्रा अपना अध्ययन छोड़ देगा तो जिस तिथि को वह संस्था छोडेगा उसी तिथि</u> से उसे छात्रवृत्ति देना बन्द कर दिया जावेगा।
- 6. This Scholarship will be stopped from the date on which student leaves studies and the institution.

- 7. छात्रवृत्तियों का भुगतान छात्र/छात्रा के बैंक खाते में ऑनलाईन किया जावेगा। छात्र/छात्रा अपने बैंक का नाम, बैंक का अकाउण्ट नम्बर, IFSC कोड नम्बर तथा अपना मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से प्रपत्र में अंकित करें।
- 7. Scholarship will be deposited directly in the bank account of the student hence please mention the name of the bank, Account number, IFSC code and mobile number of the student in this form.
- 8. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग संबंधी नियम प्रभावी रहेंगे।
- 8. Norms regarding the economically weaker person's category laid down by the State Government will be applicable here also.
- 9. विद्यार्थियों को EWS का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- 9. EWS certificate duly signed by the competent authority has to be enclosed by the student.
- 10. छात्रवृति का प्रपत्र व आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। विद्यार्थियों को पृथक से प्रपत्र व दस्तावेज (हार्ड कॉपी) बोर्ड कार्यालय को प्रेषित नहीं की जानी है।
- 10. Only online Scholarship form and all the relevant documents will be accepted. There is no need to submit form and documents (hardcopy) separately to the Board.
- 11. इस योजना में बोर्ड परीक्षा (कक्षा-10) में प्रविष्ट कैटेगरी- 1 के विद्यार्थी ही सिम्मिलित होंगे।
- 11. Only those students are eligible for this Scholarship who have appeared in class X in Category 1.
- 12. इस योजना के अभ्यर्थियों का चयन संवीक्षा के उपरान्त अंतिम परिणाम के आधार पर किया जायेगा।
- 12. Selection of the student in this scheme will be based on the last result of the student after scrutiny.
- 13. छात्रवृत्ति से सम्बन्धित जानकारी हेतु डाक सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मार्फत प्रेषित करें। अथवा निदेशक (शैक्षिक) के दूरभाष नम्बर : 0145–2632025 व 0145–2632854 पर संपर्क करें।
- 13. Please do all the correspondence regarding the payment of Scholarship to the Secretary, Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer or you may contact on the telephone numbers of Director (Academic) 0145-2632025, 2632854.
- 14. उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की फोटोप्रति भी संलग्न करें।

Line of the contract of the co

1:1-

- 14. Kindly attach the photocopy of the Marksheet of passed Exam.
- 15. उपरोक्त EWS छात्रवृत्ति के समस्त दिशा निर्देश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होंगे।
- 15. All the instructions are available on the authentic website of Board www.rajeduboard.rajasthan.gov.in regarding the EWS Scholarship.